ग्रामीण महिला विकास संस्थान

वार्षिक प्रतिवेदन

2007-2008

झलकियां

ग्राम दांता में ग्राम विकास योजना की जानकारी देते हुए श्री जस्साराम चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं नाबार्ड के श्री दिनेश रैना।

अकाल राहत कार्यक्रम के अधीन चरागाह विकास कार्यक्रम का अवलोकन करते हुए शकुन्तला बहन सी.आर. एस. गुजरात की कॉर्डिनेटर।

ग्राम दांता में बालिका विद्यालय में पाठ्य सामग्री वितरित करते हुए जिला प्रमुख श्रीमती सरिता गैना व विकास अधिकारी पं.स. श्रीनगर श्री शरद गेमावत

प्रतिभूति बाजार जागरुकता अभियान को सम्बोधित करते हुए संस्था सचिव श्री शंकरसिंह रावत एवं श्री जसवंतसिंह रावत।

श्रीमती सरिता गैना जिला, जिला प्रमुख, अजमेर अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्बोधित करती हुई।

बी बी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान से डॉ. हेलन आर. शेखर विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालय नोलखा में छात्रों की अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करते हुए।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संस्था की महिला कार्यक्रम में भाग लेती हुई।

राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह कार्यक्रम ग्राम साला की ढाणी (बुबानी) के छात्र-छात्रा।

प्राक्कथन

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्थान बड़े हर्ष के साथ वार्षिक प्रतिवेदन 2007-08 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही है।

देश के विकास का रास्ता गाँवों से होकर गुज़रता है। देश को आज़ाद हुए 60 वर्षों से अधिक हो चुके, किन्तु गाँवों की दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अत: ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। संस्थान पिछले 10 वर्षों से ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा, बालश्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अस्पृश्यता, दहेज, बाल-विवाह, धूम्रपान तथा नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों से सम्बन्धित विषयों के साथ पर्यावरण एवं जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन जन सहयोग से कर रही है। संस्थान मुख्य रूप से समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इन्हें सशक्त कर रही है।

संस्था अपने कार्यक्षेत्र के लोगों के स्नेह एवं मार्ग-निर्देशन में बेहतर परिणाम पाये हैं। यह प्रतिवेदन उनका प्रतिबिम्ब मात्र है।

हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भांति आगे भी आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, जिससे संस्था निरन्तर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकने में सफल सिद्ध होगी।

(शंकर सिंह रावत)
सचिव

(अनिल कुमार माथुर)
अध्यक्ष

- ग्रामीण दस्तकारों को बढ़ावा देने में सहयोग एवं रोज़गार उपलब्ध कराना।
- पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए पेड़-पौधों के महत्त्व पर जागरुकता प्रदान करना।
- भूमि कटाव को रोकने हेतु मेढ़बन्दी।
- सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- महिला व बाल विकास कार्यक्रम का संचालन व लोगों की जागरुकता बनाये रखना।
- संस्था के उद्देश्य एवं कार्यकलापों को प्रचारित करना, किताबों का मुद्रण एवं प्रकाशन तथा पुस्तकालयों की स्थापना करना।

स्वास्थ्य कार्यक्रम
सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम

संस्था वर्ष 2004 से अजमेर ज़िले की भिनाय पंचायत समिति के धातोल एवं बूबकिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीविताता कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम के लिए कैथोलिक डायोसिजन सोशन सर्विस सोसायटी, अजमेर के दिशा-निर्देशन में कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज़ द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्देश्य

1. प्रसव पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव तथा प्रसव पश्चात देशभाल को बढ़ावा देना।
2. बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण सम्बन्धी आदतों में सुधार लाना।
3. छह जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए सभी बच्चों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण टीकाकरण को बढ़ावा देना।
4. बाल्यावस्था की बीमारियों में कमी लाने के लिए कार्य करना।
5. सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीविताता से जुड़े स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी विषयों पर माताओं तथा समुदाय की जागरुकता का स्तर बढ़ाना।
6. कार्यक्रम के स्थायित्व के लिए महिला समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

कार्यक्रम के प्रतिभागी

- गर्भवती महिलाएं
- स्तनपान कराने वाली महिलाएं
- तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा उनकी माताएं

कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित की जा रही गतिविधियां

1. प्रसव पूर्व देखभाल

ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा गर्भवती महिलाओं को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास पंजीकरण करवाने, टिटनेस टॉक्साइड के दो टीके, गर्भावस्था के दौरान कम-से-कम तीन प्रसव पूर्व जाँच और आयरन फोलिक एसिड की 100 गोलियां खून की कमी के बचाव के लिए आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

2. सुरक्षित प्रसव एवं प्रसव पश्चात देखभाल

ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा गर्भवती महिलाओं और घर के प्रभावशाली व्यक्तियों से सम्पर्क कर संस्थागत व प्रशिक्षित दाई द्वारा प्रसव के महत्त्व के बारे में तथा जननी सुरक्षा योजना के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा प्रसव के बाद माँ (जच्चा) तथा बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए माँ से निरन्तर सम्पर्क किया जाता है।

3. वृद्धि अनुश्रवण तथा संवर्द्धन (Growth Monitoring and Promotion)

महीने की निश्चित तिथि को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा जन्म से लेकर तीन वर्ष के बच्चे का वज़न लेना तथा वृद्धि ग्राफ पर अंकित करना। इसमें पोषण का स्तर सुधारने हेतु माता को परामर्श दिया जाता है।

4. बच्चों का टीकाकरण तथा विटामिन ए की पूरक खुराकें

6 जानलेवा बीमारियों- पोलिया, डिप्थीरिया (गलघोंटू), काली खांसी, टिटनेस, खसरा तथा तपेदिक (टी. बी.) से बच्चे को बचाने के लिए एक वर्ष की आयु के भीतर 4 प्राथमिक टीके- बी सी जी व पोलियो की ज़ीरो खुराक जन्म के समय डीटीपी तथा पोलियो की खुराक पहली, दूसरी व तीसरी क्रमशः 6, 10 और 14 सप्ताह पर दी जाती है। खसरे का टीका 9 माह पर लगाया जाता है। 16-18 माह में डी.पी.टी. तथा पोलियो टीके की बूस्टर खुराक दी जाती है।

6 से 9 महीने की आयु के बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक और 6 माह के अन्तराल पर शेष खुराकें स्थानीय एएनएम के साथ समन्वय स्थापित कर टीकाकरण एवं खुराकों की व्यवस्था की जाती है।

कार्यक्षेत्र सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण अन्धविश्वास, जादू-टोने में ग्रामीण विश्वास अधिक रखते हैं, किन्तु अब धीरे-धीरे संस्था कार्यकर्ताओं की मेहनत से ग्रामीणों की सोच में परिवर्तन आने लगा है।

टीकाकरण जानकारी

लाभार्थी	देने का समय आयु	टीके का नाम	खुराकों की संख्या	रोग जिसका निवारण होता है	शरीर का अंग जहाँ टीका लगाया जाता है
महिलायें	गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके	टी. टी.	2/अनर्धक	नवजात शिशु में धनुर्वाद	मांसपेशी में
शिशु	1.5 माह	बी. सी. जी.	1**	बच्चों में होने वाले क्षय रोग	त्वचा में
		डी. पी. टी. 1	1	गलघोंटू, कूकर खांसी, धनुर्वात	मांसपेशी में
		ओ. पी. बी.	1	पोलियो	मुंह द्वारा
	2.5 माह	डी. पी. टी. 2	1	गलघोंटू, कूकर खांसी, धनुर्वात	मांसपेशी में
		ओ. पी. बी. 2	1	पोलियो	मुंह द्वारा
	3.5 माह	डी. पी. टी. 3	1	गलघोंटू, कूकर खांसी, धनुर्वात	मांसपेशी में
		ओ. पी. बी. 3	1	पोलियो	मुंह द्वारा
	9 माह से 11 माह	खसरा	1	खसरा	त्वचा में
बच्चे	16 से 24 माह	डी. पी. टी.	1***	गलघोंटू, कूकर खांसी, धनुर्वात	मांसपेशी में
		ओ. पी. बी.	1***	पोलियो	मुंह द्वारा
	5 साल	डी. टी.	2*	गलघोंटू, धनुर्वात	मांसपेशी
	10 साल	टी. टी.	2*	धनुर्वात	मांसपेशी
	16 साल	टी. टी.	2*	धनुर्वात	मांसपेशी

परिणाम

- माताओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार
- पोषाहार की उपलब्धता
- विभिन्न जागृति शिविर
- बच्चों के तोल से बच्चों की स्थिति का ज्ञान
- भयंकर जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा

5. माताओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा

स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षण के अन्तर्गत महिलाओं को व्यावहारिक जानकारी देकर इस योग्य बनाया जाता है कि वे अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें तथा स्वास्थ्य के स्तर में सुधार ला सकें।

6. गृह भ्रमण

गृह भ्रमण का उद्देश्य ऐसी महिलाओं तथा बच्चों का फॉलो-अप करना है, जिनकी स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी विशेष आवश्यकताएं हैं। निम्नलिखित वर्गों में आने वाली महिलाओं एवं बच्चों को भेंट के समय प्राथमिकता दी जाती है।

- गर्भवती महिलाएं
- महिलाएं, जिनका हाल ही में प्रसव हुआ है।
- स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त बच्चे तथा महिलाएं जिन्हें फॉलो-अप या रैफरल आदि सेवाओं की ज़रूरत है।
- स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों में अनुपस्थित रहने वाली महिलाएं
- बच्चे, जिनकी वृद्धि में रुकावट पाई गई है (ग्रोथ फाल्टरिंग बच्चे)
- वृद्धि अनुश्रवण तथा टीकाकरण सत्रों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे।

7. ग्राम स्वास्थ्य समिति

कार्यक्षेत्र के प्रत्येक गाँव में ग्राम स्वास्थ्य समिति का गठन किया गया है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा एवं उसके स्तर को सुधारने के समुदाय की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। समिति स्वयं सेवकों का एक ऐसा समूह है जो इस प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाने की ज़िम्मेदारी लेता है। यह समिति सारे गाँव के स्वास्थ्य सम्बन्धी हितों के परोपकार के रूप में कार्य करती है।

8. पूरक पोषाहार का वितरण

कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिमाह 15 किलोग्राम बल्गर (दलिया) और प्रतिमाह एक लीटर खाद्य तेल मिलता है।

9. अन्य गतिविधियां

(अ) स्तनपान सप्ताह

कार्यक्षेत्र के सभी 10 ग्रामों में दिनांक 1.8.2007 से 7.8.2008 तक स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इसमें रैलियों, बैठकों, नुक्कड़ नाटकों एवं कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि शिशु को माँ का पहला दूध (कोलस्ट्रम) पिलाना अति महत्त्वपूर्ण है। प्रथम 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध अवश्य पिलाना चाहिए।

(ब) पोषाहार सप्ताह

सितम्बर माह में पोषाहार सप्ताह मनाया गया, जिसमें महिलाओं को खासकर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और जन्म में 3 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषक तत्त्व वाला आहार के बारे में जानकारी दी गई।

(स) एड्स दिवस

1 दिसम्बर विश्व एड्स दिवस पर ग्रामवासियों को एचआईवी/एड्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

(द) सरकारी कार्यक्रम में भागीदार

सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम जैसे पल्स पोलियो अभियान, विभिन्न स्वरूप कार्यक्रमों में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र पूर्ण सहयोग प्रदान कर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP)

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से गठित बाल श्रमिक परियोजना संस्था, अजमेर के मार्ग दर्शन में संचालित बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिला विकास संस्थान 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है।

अजमेर ज़िले के श्रीनगर, सिलोरा पंचायत समिति के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। अत: अभिभावक बच्चों को विद्यालय न भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट एवं ढाबे के अलावा किशनगढ़ एवं आस-पास क्षेत्रमें संचालित पावरलूम और खानों में पत्थर तुड़ाई व मार्बल उद्योग में काम करने भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें इन उद्योगों से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना आवश्यक हो जाता है।

अत: संस्था ऐसे बच्चों को वहां से हटाकर इन विशिष्ट बाल श्रम विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनकी उम्र एवं स्तर के अनुसार आगामी 3 वर्षों में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराते हुए आगामी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रही है।

शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे अपने हुनर का विकास कर सकें।

बाल श्रम कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. बच्चे राष्ट्र की मूल्यवान धरोहर, उनका अधिकार शिक्षा प्राप्ति है न कि आजीविका कमाना।
2. बाल श्रम समस्या, देश के समक्ष कठिन चुनौती।
3. देश में वयस्क बेरोज़गारों की संख्या एवं कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या लगभग समान।
4. बाल श्रम के परिणाम स्वरूप वयस्क बेरोज़गारी, अशिक्षा और निर्धनता का घातक दुश्चक्र, राष्ट्र की प्रगति पर विपरीत प्रभाव।
5. अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की प्रतिष्ठा दांव पर, उत्पादों के निर्यात में कठिनाई।
6. संविधान एवं श्रम कानूनों के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य करने पर रोक।

शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव

आगामी 3 वर्षों में इन बच्चों के साथ प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा पूरा ध्यान देकर इन्हें मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है। साथ ही इन बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित सरकारी विद्यालयों, प्रशासन एवं परियोजना स्टाफ द्वारा फॉलो-अप योजना का निर्माण किया जाता है, जिसके तहत प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार प्रत्येक बच्चे के माता-पिता से सम्पर्क कर उसकी प्रगति को अवगत कराना एवं छात्र-छात्रा की नियमित उपस्थिति हेतु चर्चा की जाती है। साथ ही सरकारी विद्यालय में

जाकर बच्चों की गतिविधियों पर अध्यापकों की सलाह ली जाती है एवं उपस्थिति व प्रगति का अवलोकन भी किया व कराया जाता है।

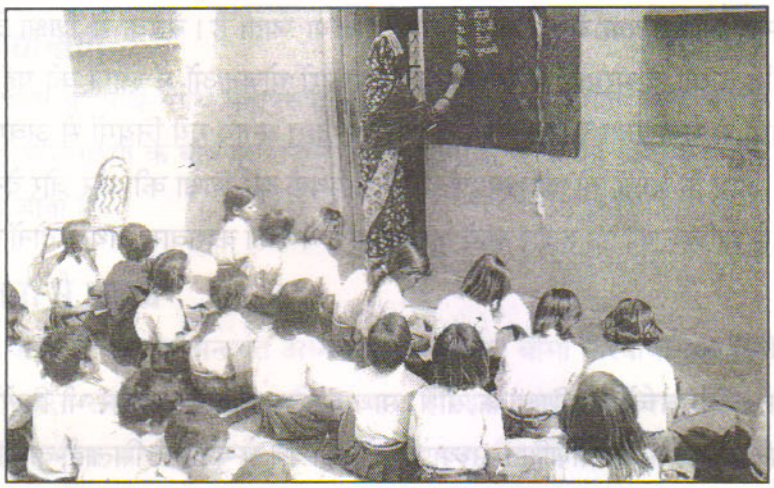

संस्थान द्वारा 12 जून, 2006 से संचालित 4 विशिष्ट बाल श्रमिक विद्यालयों का सफल संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों मं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का पूर्ण विवरण निम्नानुसार है -

नामांकन 12 जून, 2006 से वर्तमान तक

क्र. सं.	संचालित विद्यालय	बालक	बालिका	योग	SC			ST			OBC			General		
					B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
1.	मुहामी	23	27	50	2	2	4	-	-	-	21	25	46	-	-	-
2.	नौलखा	35	15	50	1	2	3	2	1	3	32	12	44	-	-	-
3.	गेगल	14	36	50	-	1	1	-	-	-	3	8	11	11	27	38
4.	किशनगढ़	24	26	50	4	4	8	-	-	-	5	10	15	15	12	27
	योग	96	104	200	7	9	16	2	1	3	61	55	116	26	39	65

संस्थान द्वारा शिक्षा के साथ-साथ निम्न गतिविधियाँ भी सम्पादित कराई जाती हैं-

1. व्यावसायिक शिक्षा
2. स्वास्थ्य परीक्षण
3. मासिक अभिभावक बैठकें
4. नियमित निरीक्षण
5. मासिक मूल्यांकन
6. प्रतिदिन पोषाहार
7. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव
8. स्टाइफण्ड
9. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियों का आयोजन
10. खेलकूद
11. बाल श्रम विरोधी रैलियां

1. मासिक अभिभावक बैठकें

विद्यालय में प्रतिमाह अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में शिक्षा के साथ-साथ गाँव की अन्य समस्याओं पर भी बातचीत करना व सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं में लोगों की पहुंच को सुनिश्चित करना तथा बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से रोकने का प्रयास कर उन्हें सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से अवगत भी कराया जाता है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों से पृथक कर शिक्षा की ओर ज़ोर देना तथा यह जानकारी देना कि जोखिमपूर्ण कार्य करवाने से मालिक को 20 हज़ार रुपये जुर्माना या 5 वर्ष का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं, आदि शामिल हैं।

2. व्यावसायिक शिक्षा

बाल श्रमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी विशेष ज़ोर दिया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वरोज़गार के प्रति जागरुक कर प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से मुख्यत: सिलाई, कढ़ाई, कुर्सी बुनाई, चारपाई, मिट्टी एवं लकड़ी के खिलौने, चाबी के छल्ले, बांस की टोकरियां, पंक्चर बनाना, साबुन, सर्फ आदि का रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे बच्चे बड़े होने पर अपनी आजीविका का साधन बना सकें।

3. पोषाहार

बाल श्रमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को प्रतिदिन राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पोषाहार में दूध बिस्किट दिया जाता है। यह क्रम साप्ताहिक चलता है। साथ ही विद्यालयों को मिड-डे मील योजना से भी जोड़कर बच्चों को साप्ताहिक मैन्यू के आधार पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है।

4. नियमित निरीक्षण

विद्यालयों का समय-समय पर परियोजना निदेशक, परियोजना फील्ड ऑफ़िसर, संस्थान प्रमुख गठित शिक्षा समिति, सरपंच एवं ग्रामीणों के साथ-साथ अन्य पंचायत समिति स्तर एवं ज़िला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाताहै। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पोषाहार, अनुशासन एवं अध्यापकों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

5. स्वास्थ्य परीक्षण

बाल श्रमिक विद्यालयों के बच्चों का प्रतिमाह नियमित रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र ANM या सरकारी डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है। इसके तहत बच्चों का वज़न, ऊँचाई, ख़ून की जाँच, आँखों की जाँच, विटामिन ए का घोल तथा दवाइयाँ देकर उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

6. मासिक मूल्यांकन

बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर बच्चों का हर माह मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के प्रति कमज़ोरी पकड़ कर उन्हें उच्च शिक्षा के स्तर में बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही TLM सामग्री का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

दी जाती है। इसमें बच्चों को 3 वर्ष में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करवाकर छठी कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाता है।

7. राष्ट्रीय पर्व एवं जयन्तियाँ

विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों के साथ-साथ महापुरुषों की जयन्तियाँ, बाल सप्ताह आदि मनाया जाता है। इनके माध्यम से महापुरुषों के जीवन में आई कठिनाइयों के बावजूद उनकी सफलताओं से बच्चों को अवगत कराते हुए उनसे प्रेरणा लेकर उन्हें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया जाता है।

8. जनश्री बीमा योजना से जुड़ाव

संस्थान द्वारा जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का बीमा करवाया गया। इसमें 100 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बालक प्रीमियम देय है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ये बच्चे सुरक्षित भी हैं। साथ ही इन बच्चों के माता-पिता का भारतीय जीवन बीमा अन्तर्गत समूह बीमा करवाया गया, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक भी सुरक्षित हैं।

9. स्टाइफण्ड

अध्ययनरत बाल श्रमिक विद्यालय के बच्चों के लिए परियोजना द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 100 रुपये वज़ीफ़ा (स्टाइफण्ड) के रूप में बैंक या पोस्ट ऑफ़िस में उन बच्चों के नाम खाता खुलवाकर राशि उनके खाते में जमा कराई जाती है। इस प्रकार परियोजना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद भी कर रही है, जिससे बच्चों को आगे अध्ययन करने में सहायता मिलेगी।

10. खेलकूद

विद्यालयों में समय-समय पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसमें चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, बोरी दौड़, रुमाल झपट्टा, ऊँची कूद, लम्बी कूद, दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताएं होती हैं। इनके साथ-साथ प्रतिवर्ष बाल सप्ताह कार्यक्रम विद्यालय में मनाया जाता है। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को संस्थान द्वारा उचित इनाम दिया जाता है।

11. रैलियाँ

बच्चों द्वारा ग्राम में समय-समय पर बाल श्रम विरोधी रैलियाँ, पल्स पोलियो रैली निकाली जाती हैं, जिसमें संस्थान व विद्यालय स्टाफ तथा ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है।

बाल श्रम के प्रति संस्थान की भूमिका

संस्थान का मुख्य उद्देश्य बालकों के हक़ के लिए संघर्ष करना है। अब लगभग सभी संस्थाएं बालकों के काम करने को शोषण के रूप में समझने लगी हैं तथा बाल मज़दूरी के प्रति संवेदनशील हैं। संस्थान कई प्रकार की भूमिका निभा रही है। अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाल श्रम प्रथा तथा बाल श्रमिकों के कार्य करने के ख़िलाफ़ समाज में चेतना पैदा करने की प्रेरणा देते हुए बच्चों के लिए मुफ़्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए संघर्ष करते हैं व बाल श्रमिक बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सामूहिक रूप से इस समस्या की गम्भीरता के प्रति जागरुक कर बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित करना।

SF/ECDS कार्यक्रम

आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था, मदार के सहयोग से ग्रामीण महिला विकास संस्थान पिछले 11 वर्षों से विभिन्न विकासीय विषयों पर कार्य कर रही है, जिसमें शाम के समय बालबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रों में 3-6 वर्ष व 6-14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे, जो कभी विद्यालय गए नहीं या जानवर चराने जाते हों, को संस्थान द्वारा शिक्षित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इन केन्द्रों पर प्रतिदिन बच्चों को तेल व दलिया पकाकर भोजन के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चों के शारीरिक विकास में वृद्धि पाई गई। उक्त संस्थान द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समय-समय पर विद्यालय स्टाफ (अध्यापकों) को प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

ECDC सारणी

क्र. सं.	गाँव का नाम	कार्यक्रम का नाम	छात्र	छात्रा	योग
1.	ढाणी पुरोहितान	ECDC	24	13	37
2.	खायड़ा, भिनाय	ECDC	8	17	25
3.	सोलकला, भिनाय	ECDC	13	12	25
4.	पीपलिया, भिनाय	ECDC	11	14	25
	योग		**56**	**56**	**112**

SF सारणी

क्र. सं.	गाँव का नाम	कार्यक्रम का नाम	छात्र	छात्रा	योग
1.	ढाणी पुरोहितान	SF	108	52	160
2.	दांता	SF	12	18	30
3.	शाला की ढाणी	SF	9	11	20
	योग		**129**	**81**	**210**

आपदा प्रबन्धन परियोजना (DMP)

अजमेर ज़िले की भिनाय पंचायत समिति सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, किन्तु ये लोग कृषि की नवीन तकनीक एवं अच्छी नस्ल के पशुओं से अनभिज्ञ होने से परम्परागत रूप से चली आ रही पद्धति से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या- निरन्तर घटता जल स्तर, फ्लोराइड युक्त पानी, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बेरोज़गारी इत्यादि हैं।

संस्थान कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज (सी.आर.एस.) के सहयोग एवं आर.सी.डी. समाज सेवी संस्था, मदार, अजमेर के दिशा-निर्देशन में ग्राम पंचायत बूबकिया के गाँव सोलकलां एवं खायड़ा में आपदा प्रबन्धन परियोजना का संचालन कर रही है। परियोजना में मुख्य रूप से समुदाय की क्षमता वर्द्धन गतिविधयाँ- प्रशिक्षण भ्रमण, ग्राम विकास कमेटी का गठन के अलावा जल स्रोतों की मरम्मत, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, चरागाह विकास, उत्तम नस्ल के पशुपालन व नवीन कृषि तकनीक हेतु जन जागृति कार्यक्रम के साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं इनसे जुड़ाव के लिए प्रेरित करना इत्यादि कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है।

लाभार्थी विवरण

परियोजना का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	कुल जनसंख्या	कुल परिवार
आपदा प्रबन्धन परियोजना	भिनाय	बूबकिया	1. खायड़ा	1179	210
			2. सोलकलां	510	94

परियोजना के उद्देश्य

1. वर्षा जल का संग्रहण कर घरेलू एवं कृषि योग्य जल में वृद्धि करना।
2. उन्नत पशुपालन नस्ल एवं उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा।
3. लक्षित समुदाय को सरकारी एवं अन्य संस्थागत गतिविधियों से जुड़ाव करवाकर अकाल के प्रभाव को कम करने का प्रयास।

मुख्य गतिविधियाँ

1. सामाजिक संगठन का गठन

ग्राम विकास से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम विकास कमेटी का गठन किया गया है, जो समय-समय पर बैठकें आयोजित करके कार्यक्रमों को सही दिशा प्रदान करते हैं।

2. क्षमता वर्द्धन

ग्रामीण की कौशलता एवं आवश्यकता को देखते हुए सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जाता है। जैसे नवीन कृषि तकनीक, उन्नत नस्ल के पशुपालन, समूह के माध्यम से सशक्तिकरण और लघु बचत इत्यादि।

3. सामाजिक जागरुकता

परियोजना के अन्तर्गत संस्थान समय-समय पर नुक्कड़ नाटकों, पपेट शो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह, मृत्युभोज, जादू-टोने इत्यादि पर जागरुकता कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है।

4. ग्राम सूचना केन्द्र

कार्यक्षेत्र के दोनों गाँवों में ग्राम सूचना केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र पर प्रतिदिन पत्र पत्रिकाएं आती हैं। रोज़गार समाचार पत्र भी आता है। रेडियो भी रखा

गया है ताकि ग्रामवासी नई-नई जानकारी से रू-ब-रू हो सकें। केन्द्र पर कृषि उपकरणों को भी रखा गया है, जो ग्रामवासी एक न्यूनतम शुल्क देकर उपयोग कर सकते हैं। केन्द्र पर लाउड स्पीकर रखा गया है। केन्द्र पर कॉइन बॉक्स टेलीफोन रखा गया है, जिससे ग्रामवासी अपने सम्बन्धितों से सम्पर्क कर सकें।

5. उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी

कार्यक्षेत्र किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी की जानकारी देने के लिए किसान फील्ड पाठशाला का आयोजन किया गया। जिससे उन्नत बीज, खाद-उर्वरक के बारे में प्रशिक्षण दिया गया, जिससे किसानों की लागत कम और पैदावार अधिक हो सके।

6. पेयजल संसाधनों की मरम्मत एवं चरागाह विकास

उपलब्ध पेयजल संसाधनों का छोटे स्तर पर मरम्मत करवाना, जिससे पानी को रोककर उपलब्ध पानी को बेहतर प्रबन्धन द्वारा अधिक उपयोग लिया जा सके। पेयजल समस्या के समाधान हेतु दोनों गाँवों में गेल इण्डया के सहयोग से 5000 लीटर पानी की क्षमता वाली 3 टंकियां उपलब्ध करवाई गईं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, साथ ही चरागाह भूमि पर भी घास लगाकर बेहतर प्रबन्धन व्यवस्था के माध्यम से चरागाह विकास सुनिश्चित कर उसको अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

7. वर्मी कम्पोस्ट यूनिट

कार्यक्षेत्र में इस वर्ष 10 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगवाई गई तथा जैविक खाद की उपयोगिता के बारे में ग्रामवासियों को जागरुक किया गया।

सोशल मोबिलाइज़ेशन परियोजना (SMP)

1. पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला विकास मन्त्रालय, भारत सरकार तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समर्थित और अरावली जयपुर के समन्वय में संस्था ने महिला संगठनों के सशक्तिकरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के उत्तम प्रबन्धन के माध्यम से ग़रीब परिवारों की महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास किया।

2. परियोजना क्षेत्र

अजमेर ज़िले की श्रीनगर पंचायत समिति के 15 ग्राम पंचायतों के 23 ग्राम।

3. लक्ष्य समूह

ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन एवं वंचित समुदाय के 45 महिला स्वयं सहायता समूह।

4. सामान्य जानकारी

कुल ग्रा.पं.	कुल ग्राम	कुल समूह	कुल सदस्य	BPL	APL	SC	ST	OBC	सामान्य	बचत	ऋण	R.F.
15	23	45	497	362	135	116	6	335	40	1598600	5005000	1575000

5. परियोजना का उद्देश्य

- परिवार एवं समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।
- प्राकृतिक संसाधन के आधार को बेहतर बनाकर एवं महिलाओं की कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए आजीविका के विभिन्न विकल्पों तक पहुँच बढ़ाकर उनके आर्थिक स्तर को सुदृढ़ करना।
- आजीविका को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु महिलाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना।
- महिलाओं की सरकारी एवं पंचायती राज के कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाना।
- महिलाओं के मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर उठाने हेतु ज़िला स्तर पर मंच बनाने के लिए सहयोग करना।
- महिला समूहों का एक आदर्श मॉडल प्रदर्शित करना।

6. रणनीति परियोजना में निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई गईं

- ग़रीबी कम करने एवं आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक संगठन की रणनीति अपनाई गई।
- आजीविका के बेहतर विकल्पों के द्वारा महिलाओं की आय बढ़ाने का प्रयास किया गया।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति संगठित किया गया।
- परियोजना में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दों- महिलाओं के अधिकार, प्रजनन-स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा एवं जेण्डर सम्बन्धी अन्य मुद्दों पर भी कार्य किया गया।
- सरकारी विभागों, बैंकों, नाबार्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
- सरकारी योजना/कार्यक्रमों की केन्द्रभिमुखता हेतु प्रयास किया गया।

7. परियोजना में की गई प्रमुख गतिविधियाँ

- **क्षमता वर्द्धन**

परियोजना अवधि के दोरान आमुखीकरण, नेतृत्व, कृषि तकनीक, पशुपालन, महिला संघ, उपभोक्ता जागरुकता और पर्यावरण जागरुकता पर महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **शैक्षणिक भ्रमण**

समूह के सदस्यों को आजीविका बेहतर बनाने के लिए समूह को प्राकृतिक संसाधन आधारित आर्थिक गतिविधयों जैसे चरागाह प्रबन्धन विकास, जल संरक्षण ढांचे, डेयरी उद्योग और समूह द्वारा संचालित आय सृजन गतिविधियों से रू-ब-रू करवाने के लिए प्रयत्न समिति उदयपुर, भीलवाड़ा, बायफ मण्डल (भीलवाड़ा) और रांची (झारखण्ड) का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया।

- **प्राकृतिक संसाधन आधारित गतिविधियां**

महिला समूह के सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट्स, कम्पोस्ट तथा मुर्गीपालन का कार्य भी किया गया।

- **सरकारी योजनाओं से जुड़ाव**

8. परियोजना प्रभाव

- आपसी विश्वास एवं आत्मविश्वास में वृद्धि हुई।
- समूह में महिला अपनी बात रखने लगी।
- महिलाओं ने आपसी लेनदेन, हिसाब-किताब करना सीखा।
- नियमित बचत कर रही है।
- बैंक से जुड़ाव और ऋण उपलब्ध हुआ।

पेहल कार्यक्रम

Promoting Empowerment among Poor House hold through Appropriate Livelihood (PEHAL)

सर रतन टाटा ट्रस्ट के वित्तीय सहयोग से संचालित परियोजना है। एसोसिएशन फॉर एडवांसमेन्ट थ्रू वॉलन्टरीश एक्शन एण्ड लोकल इनवॉल्वमेन्ट (अरावली) इस परियोजना में समन्वयक के रूप में भूमिका निभा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब असहाय और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए समुदाय को समूह के माध्यम से संगठित कर सशक्त बनाया जाता है। लोगों को छोटी-छोटी बचत के लिए प्रेरित किया जाता है। बैंकों से लिंकेज करवाकर लघु ऋण दिलवाया जाता है, जिससे ये आय सृजन गतिविधियों को अपनाकर आय उपार्जन कर सकें।

परियोजना का कार्यक्षेत्र अजमेर ज़िले की श्रीनगर, सिलोरा और भिनाय पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र हैं।

इस परियोजना में एक ऐसे तन्त्र का विकास करना जो कि परियोजना अवधि के पश्चात् भी समूह स्वयं संचालित रहे। उनको किसी बैसाखी (संस्था) की ज़रूरत महसूस न हो। अत: यह रेवेन्यू मॉडल पर आधारित परियोजना है। समूह अपने लेखा संधारण के लिए मुन्शी को नियुक्त रती है और उनका मानदेय भी समूह स्वयं देते हैं।

1. स्वयं सहायता समूह

गाँव के ग़रीब परिवारों के सदस्य मिलकर एक समूह का गठन करते हैं और समूह के माध्यम से लघु बचत, लघु ऋण, आन्तरिक ऋण और वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर आजीविका प्रोन्नत कार्यक्रम का संचालन के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पर बैठकों में विचार-विमर्श करना।

2. क्लस्टर

8 से 12 समूह मिलकर एक क्लस्टर का गठन करते हैं। प्रत्येक समूह से 2 सदस्य होते हैं, जो कि समूह की सम्पूर्ण गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं।

3. फैडरेशन

10 से अधिक क्लस्टर मिलकर एक फैडरेशन का गठन करते हैं, जिससे प्रत्येक क्लस्टर से 2 सदस्य होते हैं, जो क्लस्टर की सम्पूर्ण गतिविधियों का ध्यान रखते हैं। फैडरेशन सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों पर समय-समय पर चर्चा करते हैं तथा प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

कुल पं. सं.	कुल ग्रा.पं.	कुल ग्राम	कुल समूह	कुल सदस्य	BPL	APL	SC	ST	OBC	सामान्य	बचत	ऋण
3	9	17	86	1038	149	889	124	39	760	115	1864726	8937000

अन्य कार्यक्रम

किसान क्लब

ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। कृषि के विकास में संस्थागत ऋण का विशेष महत्त्व रहा है। वर्तमान में ग्रामीण परिवार विशेषकर किसान, किसी न किसी ऋण योजना के माध्यम से लाभान्वित है। बैंकों और किसानों के बीच सम्बन्ध सुदृढ़ करने के लिए संस्थान ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से कार्यक्षेत्र में 10 किसान क्लब का गठन किया है। किसान क्लबों ने कृषि ज्ञान केन्द्र, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, अजमेर के माध्यम से बैंक योजनाओं और कृषि सम्बन्धी तकनीकी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संस्थान द्वारा गठित बालाजी किसान क्लब ग्राम दांता, पंचायत समिति-श्रीनगर को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा किसान क्लब कार्यक्रम पुरस्कार वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत बहुआयामी कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान 2007-08

विगत 7 वर्षों की भांति इस वर्ष भी वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग एवं कट्स, जयपुर विषय पर अजमेर ज़िले के भिनाय पंचायत समिति गाँव हीरापुरा एवं पीपलिया में क्रमश: दिनांक 26 व 27 फरवरी, 2008 को शिविरों का आयोजन किया गया। ग्रामवासियों को जैविक विविधता संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्त्व पर जानकारी प्रदान की गई।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस युग में विकासोन्मुख होकर हमने प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन कर उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। परिणमत: जन, वन एवं वन्य जीवों के संघर्ष से जैव-विविधता तथा जीव जन्तुओं की शनै-शनै विलुप्तता एवं घटती गुणवत्ता का सिलसिला जो एक बार आरम्भ हुआ वो आज तक नहीं थमा है एवं मनोवृत्ति के इस मायाजाल में बुरी तरह फंसने के उपरान्त हम नवीनीकरण, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, अकाल, कुपोषण, अविश्वास, अवांछनीय प्रतिस्पर्द्धा, अनादर, बीमारी एवं भौतिकवाद आदि समस्याओं से जूझने के लिए विवश हो गये हैं, जिनसे प्राकृतिक सम्पन्नता की निरन्त रूचि होती रही है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह अति आवश्यक है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण दोहन करते हुए नवीनतम तकनीकों को दीर्घकालीन लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं में समावेश करके सतत विकास की ओर उन्मुख हो एवं वनों पर आधारित वानस्पतिक आवरण का विस्तार जन सहयोग से सुनिश्चित हो।

आयोडीन जन चेतना कार्यक्रम

संस्था ने जनवरी माह में कार्यक्षेत्र के गाँव मुहामी, टिढाणा की ढाणी, निम्बूकिया और भूडोल में स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को आयोडीन युक्त नमक की जागरुकता शिविर का आयोजन क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय अजमेर, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के सहयोग से किया गया।

शिविर में बताया गया कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों, अनाज, फलों, सब्जियों तथा पेयजल में पाये जाने वाले आयोडीन की मात्रा पर्यावरण प्रदूषण के कारण कम हो रही है, जिसके कारण मनुष्य एवं पशुओं को पर्याप्त आयोडीन नहीं मिल पाता है। इसी कमी को दैनिक भोजन में आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग से पूरा किया जाना चाहिए।

आयोडीन एक ऐसा पोषक तत्त्व है, जो शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। इसकी कमी से मनुष्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला शारीरिक रोग हो सकता है, वहीं बच्चों की बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता

है। गर्भवती महिलाओं को तो इसकी और अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसका सीधा असर होने वाले बच्चे के दिमाग़ और विकास पर पड़ता है।

प्रतिभूति बाज़ार जागरुकता अभियान

आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के फलस्वरूप पूंजी बाज़ार में जनता की रूचि में वृद्धि हुई है। निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए तथा संरक्षण सुनिश्चित करने या जोखिम से बचने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के आर्थिक सहयोग एवं कट्स जयपुर के दिशा-निर्देशन में प्रतिभूति बाज़ार जागरुकता अभियान दिनांक 21 दिसम्बर, 2007 को किया गया। कार्यशाला में शेयर बाज़ार में रूचि रखने वाले व्यक्तियों ने भाग लिया तथा इन्हें निजी फाइनेंस कम्पनियों, शेयर मार्केट, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य निवेश सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई।

नेत्र चिकित्सा शिविर

ग्रामीण महिला विकास संस्थान एवं मानव कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्षेत्र के गाँव बूबानी के उप स्वास्थ्य केन्द्र पर एक दिवसीय आँखों का शिविर लगाया गया। इस शिविर में बूबानी गाँव सहित आस-पास के गाँवों से कुल 243 मरीज़ों को नि:शुल्क दवाई देकर लाभान्वित किया। उक्त 15 सदस्यों का आँखों का ऑपरेशन दिनांक 4 मार्च, 2008 को के. आर. गर्ग, मानव कल्याण परिषद के अध्यक्ष, डॉ. जितेन्द्र जैन, डॉ. राजेन्द्र हेडा, कम्पाउण्डर श्री निरंजन की उपस्थिति में यज्ञनारायण अस्पताल में हुआ। सभी सदस्यों को दिनांक 13 मार्च, 2008 को ऐनक (चश्मा) वितरित किया गया। इस शिविर से 15 सदस्यों को नई रोशनी मिली, जिससे ये काफी खुश हैं।

किसान फील्ड पाठशाला (FFS)

भिनाय पंचायत समिति के गाँव सोलकलां में संस्थान ने अरावली के सहयोग से किसान फील्ड पाठशाला कार्यक्रम संचालित किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव के 25 किसानों का चुनाव कर गेहूं की फसल की बुवाई पूर्व तैयारी से लेकर भण्डारण तक विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं। इसमें भूमि तैयार करना, उन्नत नस्ल का बीज, बीज उपचार, सिंचाई,

खाद-उर्वरक की सही मात्रा, खरपतवार की निराई-गुड़ाई, कीटनाशक का सही प्रयोग और सही समय पर फसल कटाई और भण्डारण से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां संचालित कीं। इस कार्यक्रम में अरावली, आर.आर.सी., अजमेर के कार्यक्रम अधिकारी श्री ईश्वर बैरवा (कृषि विशेषज्ञ) की देखरेख में सम्पन्न की गई।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु पालना गृह योजना

आज के महंगाई के दौर में पति एवं पत्नी दोनों को कार्य करना आवश्यक हो गया। साथ ही समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की उचित देखभाल के लिए शिशु पालन गृह की अधिकाधित आवश्यकता अनुभव हो रही है। बच्चों की समुचित देखभाल अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त निर्धन महिलाओं के शिशुओं को बाल श्रम से बचाने व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिशु पालन गृह का महत्त्व भी बढ़ रहा है। अतः संस्थान ने राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर के सहयोग से कार्यक्षेत्र के गाँव शाला की ढाणी (बूबानी) में कामकाजी माताओं के शिशुओं के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु पालन गृह योजना के अन्तर्गत शिशु पालन गृह का संचालन कर रही है। इसमें 0 से 6 वर्ष तक 25 शिशुओं को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रखा जाता है। साथ बच्चों के लिए खिलौने, झूले आदि की व्यवस्था की गई है। साथ में पोषाहार व आवश्यक दवाइयों की भी व्यवस्था है।

सहयोगी संस्थायें

1. कपार्ट, जयपुर
2. अरावली, जयपुर
3. नाबार्ड, अजमेर
4. कट्स, जयपुर
5. सी. आर. एस., गुजरात
6. श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर
8. यू.एन.डी.पी., नई दिल्ली
9. सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई
10. आर. सी. डी. समाज सेवी संस्था, मदार (अजमेर)
11. राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर
12. क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, अजमेर
13. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

संस्थान की वर्तमान कार्यकारिणी

1.	श्री अनिलकुमार माथुर	अध्यक्ष
2.	श्री दीनदयाल शर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री शंकरसिंह रावत	सचिव
4.	श्री शम्भूसिंह रावत	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमती अरूणादेवी	कार्यकारिणी सदस्य
6.	श्रीमती लक्ष्मीदेवी	कार्यकारिणी सदस्य
7.	श्रीमती सरस्वती भाट	कार्यकारिणी सदस्य
8.	श्रीमती रतना देवी	कार्यकारिणी सदस्य
9.	श्रीमती भाणीदेवी	कार्यकारिणी सदस्य

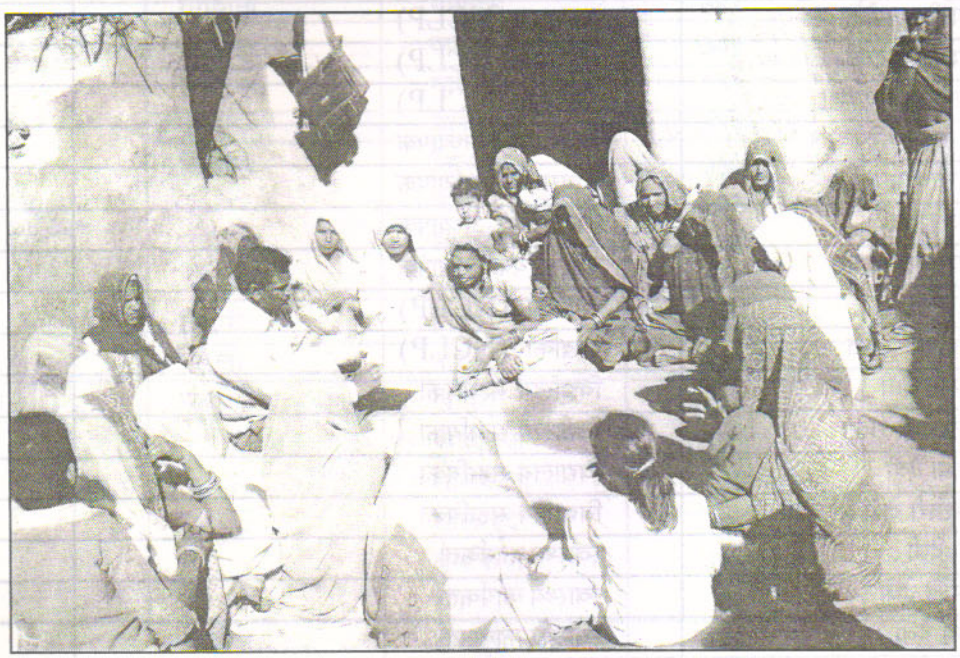

संस्थान के वर्तमान कार्यकर्तागण

क्र.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यानुभव
1.	शंकर सिंह रावत	निदेशक	11 वर्ष
2.	श्रेया त्रिपाठी	कार्यक्रम अधिकारी	2 वर्ष
3.	सियाराम पूनियां	कार्यक्रम समन्वयक	2 वर्ष
4.	शम्भू सिंह रावत	समन्वयक	10 वर्ष
5.	संदीप जैन	वरिष्ठ लेखाकार	5 वर्ष
6.	तेजाराम मेघवंशी	परियोजना अधिकारी (SMP)	10 वर्ष
7.	विजय सिंह रावत	परियोजना अधिकारी (NCLP)	8 वर्ष
8.	अनिल कुमार कलोसिया	परियोजना अधिकारी (SMCS)	5 वर्ष
9.	रणजीत जाट	परियोजना अधिकारी (DMP)	4 वर्ष
10.	प्यारे लाल मेघवंशी	परियोजना अधिकारी (MFP)	1 वर्ष
11.	गागू सिंह रावत	SHG सुपरवाइज़र	6 वर्ष
12.	गजानन्द	SHG सुपरवाइज़र	3 वर्ष
13.	कैलाश चन्द्र	प्रधानाध्यापक, मुहामी	6 वर्ष
14.	महावीर सिंह रावत	प्रधानाध्यापक, नौलखा	3 वर्ष
15.	मोहनलाल	प्रधानाध्यापक, किशनगढ़	3 वर्ष
16.	महावीर सिंह	प्रधानाध्यापक, गेगल	3 वर्ष
17.	रणजीत सिंह	अध्यापक (NCLP)	3 वर्ष
18.	महावीर खटीक	अध्यापक (NCLP)	3 वर्ष
19.	सुरेश चन्द राठी	अध्यापक (NCLP)	3 वर्ष
20.	राधेश्याम मेघवंशी	अध्यापक (NCLP)	2 वर्ष
21.	गवरीनन्दन देतवाल	व्यवसायिक अध्यापक	3 वर्ष
22.	हेमलता अपूर्वा	व्यवसायिक अध्यापक	4 वर्ष
23.	सन्जू रावत	व्यवसायिक अध्यापक	3 वर्ष
24.	घनश्याम सदावत	व्यवसायिक अध्यापक	6 वर्ष
25.	नीरा सिंह	लेखाकार (NCLP)	7 वर्ष
26.	ज्ञान सिंह रावत	लेखाकार (NCLP)	3 वर्ष
27.	कमला देवी	विद्यालय सहायिका	6 वर्ष
28.	मुन्नी देवी रावत	विद्यालय सहायिका	3 वर्ष
29.	रुकमा देवी	विद्यालय सहायिका	3 वर्ष
30.	रामेश्वरी देवी मेघवंशी	विद्यालय सहायिका	2 वर्ष
31.	मैना देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष
32.	निर्मला देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष
33.	सीमा देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष
34.	गीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष
35.	पारसी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष
36.	सीता देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष
37.	ऊमी देवी	स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4 वर्ष

संस्थान कार्यक्षेत्र

क्र.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गाँव का नाम	परिवार संख्या	कुल जनसंख्या
1.	श्रीनगर	श्रीनगर	श्रीनगर	2139	12834
2.		गेगल	गेगल	388	2307
3.			आखरी	226	1342
4.			चांदियावास	113	629
5.			दांता	148	1036
6.		बूबानी	मुहामी	383	2330
7.			बूबानी	445	2794
8.			खोड़ा गणेश	208	1414
9.			शाला की ढाणी	93	640
10.		भूडोल	भूडोल	524	3375
11.		गोडियावास	गोडियावास	141	894
12.			नौलखा	192	1231
13.			गुढा	77	426
14.		ऊंटड़ा	सराणा	263	1490
15.		नरवर	ठिठाणा	120	810
16.			निम्बूकिया	112	730
17.		गगवाना	गगवाना	687	4437
18.		कायमपुरा	कायमपुरा	344	2166
19.		रसूलपुरा	गुवारड़ी	158	934
20.		दांता	बलवन्ता	331	1999
21.		तिलाना	तिलाना	316	1831
22.			कुराड़ी	83	517
23.			चान्दसेन	144	228
24.			नवाब	132	872
25.		तिहारी	तिहारी	445	1875
26.		नारेली	नारेली	462	2970
27.	भिनाय	बूबकिया	खायड़ा	163	959
28.			पीपलिया	126	774
29.			सोलकलां	76	488
30.			सोलखुर्द	88	444
31.			बूबकिया	193	1127
32.			रेण	101	606
33.		धातौल	हीरापुरा	173	1107
34.			गुजरवाड़ा	94	578
45.			धातौल	194	1116
36.			उदयगढ़ खेड़ा	221	1216
37.	सिलोरा	मालियों की बाड़ी	ढाणी पुरोहितान	315	1817

FINANCIAL STATEMENT

CONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31.03.2008

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
To Travelling Expenses	17435.00	By **Grant Received:-**	
To Printing & Stationary Exp.	27089.00	NCLP	844362.00
To Postage Expenses	2200.00	UNDP	245723.00
To Salary	110129.00	SRTT	166358.00
To Interest on Motor Cycle Loan	4641.30	By SMCS Contribution Received	121740.00
To Bank Charges	305.00	By Contribution from SHG Group	25500.00
To Office Expenses	33502.00	By Membership Fees	909.00
To Photography Exp.	285.00	By Donation	202352.00
To Project Expenses:		By Subscription	73500.00
NCLP	904100.91	By Service Charges	8000.00
Rajiv Gandhi NCP	135.00	By CUTS Grant	1274.00
UNDP	485473.00	By Bank Interest	793.00
SRTT	168956.00	By Bank Interest On FCRA A/c	72.00
C.R.S. & R.C.D	112528.50	By Sale of CTN & Bags	4230.00
To Depreciation	49090.00	By Misc. Income	73.00
To Programme Balance	72803.00	By CUTS Grant Receivable	1000.00
To Surplus	15927.20	By Grant Receivable from SRTT	49500.00
		By Rajiv Gandhi NCP Grant Receivable	125.00
		By Grant Receivable	259088.91
	2004599.91		2004599.91

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2008

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
General Fund	440346.13	Fixed Assets (As per Annexure "A")	390633.00
		Advance to Interface Foundation	10000.00
Loan	255956.00	CUTS Grant Receivable	1000.00
HDFC Bank Loan	12759.78	Grant Receivable from SRTT	49500.00
Programme Balance	78542.00	Rajiv Gandhi NCP Grant Receivable	125.00
		Grant Receivable	259088.91
		Cash in Hand	24000.00
		Cash at Bank	52685.00
		Cash at Bank: FCRA	572.00
	787603.91		787603.91

In terms of our Audit Report even date attached

For **SWAMI SHARAN VERMA**

Chartered Accountants
Prop.

Place: Jaipur
Dated:06.05.2008

For **GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN**

Secretary

सचिव
ग्रामीण महिला विकास संस्थान
बूमानी, (अजमेर, राज.)-305022

कार्यक्षेत्र मानचित्र

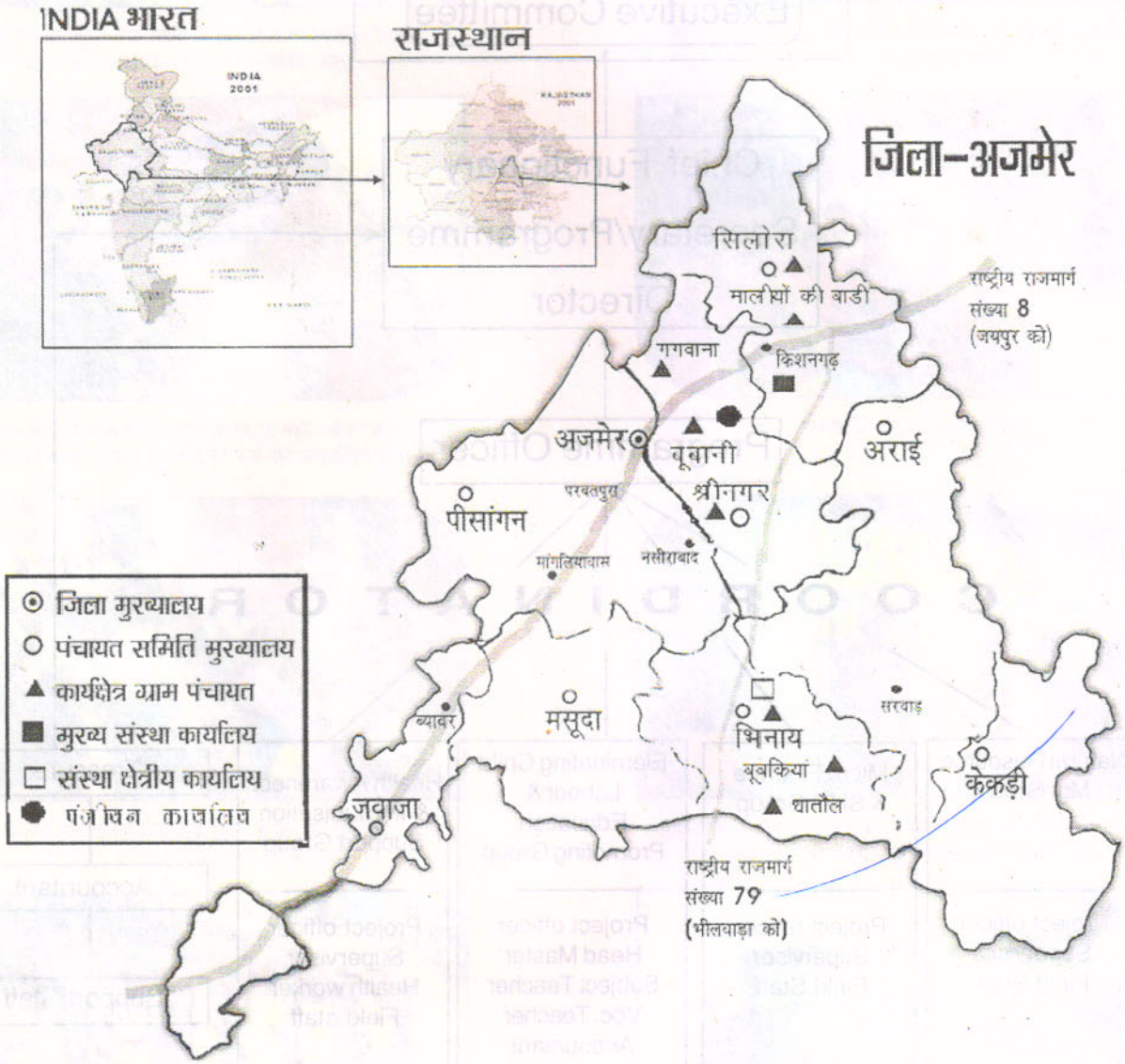

GRAMIN MAHILA VIKAS SANSTHAN, KISHANGARH

Organisational Structure

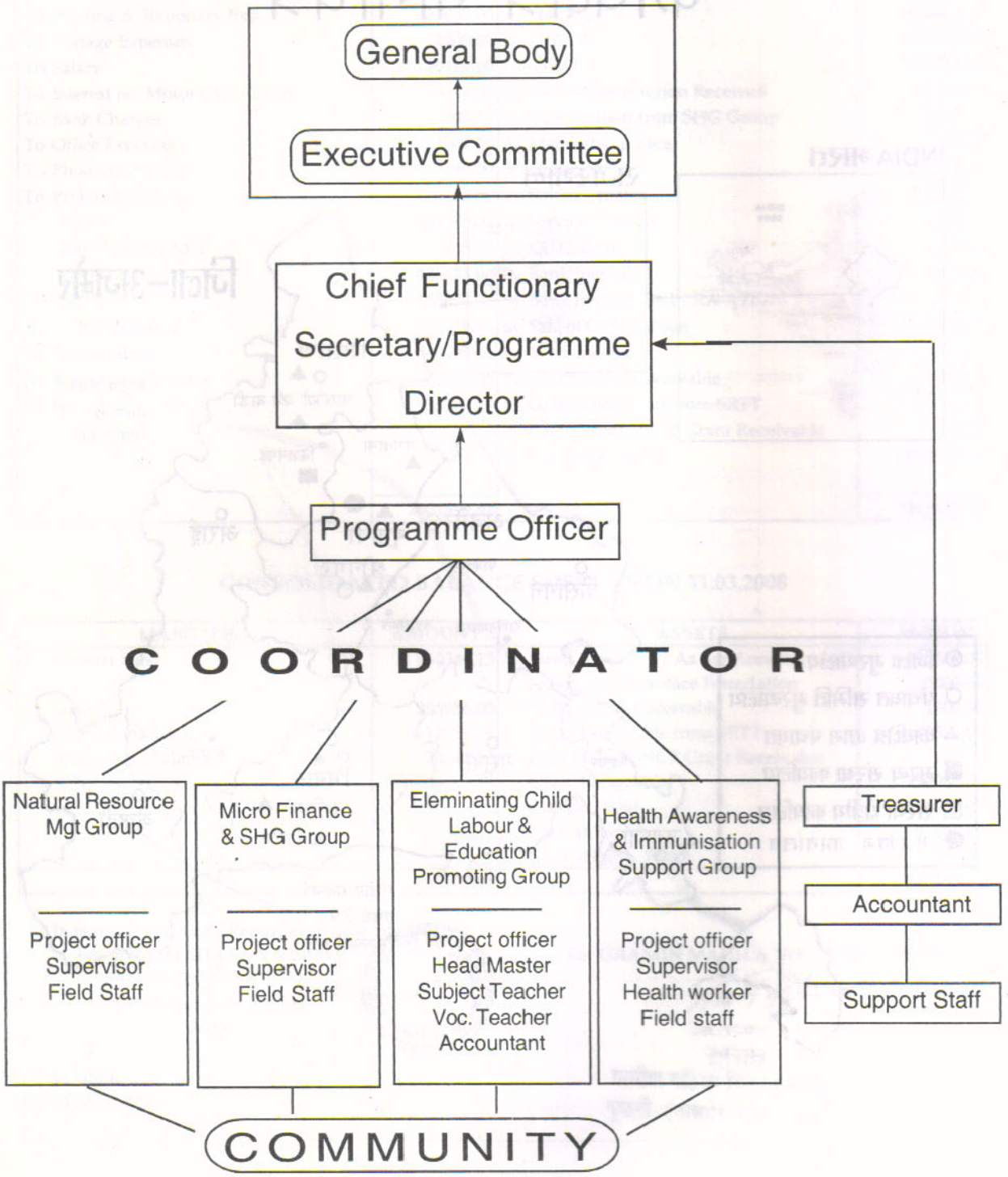

झलकियां

नाबार्ड द्वारा प्रायोजित शिव शक्ति किसान क्लब के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते ग्रामीण समूह।

संस्थान द्वारा संचालित बाल श्रमिक विद्यालय मुहामी में बाल श्रम विरोधी रैली निकालते हुए छात्र-छात्राएं।

शिव शक्ति किसान क्लब का उद्घाटन करते हुए बड़ौदा बैंक, अजमेर के मुख्य महाप्रबन्धक एवं नाबार्ड के श्री दिनेश रैना दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

संस्थान के प्रमुख कार्यकर्तागण।

विशिष्ठ बाल श्रमिक विद्यालय मुहामी में पोषाहार वितरित करते हुए संस्था के पदाधिकारी एवं शिक्षक।

पुष्कर मेले में संस्थान द्वारा लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा क्राफ्ट मेले में अपनी समूह निर्मित सामग्री बेचती हुई।

संस्था द्वारा प्रोत्साहित विद्यालय के छात्र-छात्राएं व्यायाम करते हुए।

श्री अनिलकुमार कलोसिया सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को जानकारी प्रदान करते हुए।

ग्रामीण महिला विकास संस्थान

मुख्य कार्यालय :

पटाखा फैक्ट्री के पास, राजा रेडी,
मदनगंज-किशनगढ़-305801
जिला-अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन + 91-1463-245642
ई-मेल : reachgmvs@gmail.com
Visit us : www.gmvs.org.in

पंजीयन कार्यालय :

मु.पो. बुबानी,
वाया - गगवाना-305023
जिला-अजमेर (राजस्थान) भारत
फोन + 91-1463-516005
ई-मेल : graminmahilavikas@yahoo.co.in

मुद्रक : प्रगति प्रिन्टर्स, अजमेर, फोन 2421887